न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 114 / 2026

नेकीराम पुत्र श्री तुलसाराम ग्राम पोस्ट बहादुरवास जिला झुंझुनू पिनकोड 333704

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 08.04.2026

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 12.03.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 114 / 2026 पर दिनांक 12.03.2026 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2026 / 707–708 दिनांक 12.03.2026 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा ने जबाब प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना आदिनांक तक अप्राप्त है जिसकी सूचना अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्र कमांक 06 दिनांक 13.02.2026 को दे दी गई है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना आदिनांक तक अप्राप्त है जिसकी सूचना अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पत्र कमांक 06 दिनांक 13.02.2026 को दे दी गई है। अपीलार्थी को सूचना के संबंध में सूचित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 08.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर झुंझुनूं